आदेश

वर्तमान में राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा एम्बुलेंन्सों का किराया तय न होने के कारण जनपद उधमसिंह नगर हेतु एम्बुलेंस का किराया निर्धारित किये जाने हेतु सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी उधमसिंह नगर संभाग द्वारा जनपद के निजी एंबुलेंस चालकों एवं वाहन स्वामियों , उनके प्रतिनिधियों तथा नर्सिंग होम–अस्पतालों के चिकित्सकों से वार्ता की गयी। उक्त सभी से हुयी वार्ता एवं वर्तमान बाजार दशा को आधार बनाते हुए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उधमसिंह नगर द्वारा कार्यालय पत्र संख्या 2839/एम्बुलेंस किराया निर्धारण/2021 दिनांक 13.05.2021 के द्वारा जनपद उधमसिंह नगर हेतु एम्बुलेंसों की किराया दर का आंकलन करते हुए प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्तानुसार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी उधमसिंह नगर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव/आख्या के आलोक में आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासन/राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा एम्बुलेंस की किराया दरें निर्धारित किये जाने तक जनपद उधमसिंह नगर हेतु निम्नानुसार एम्बुलेंस की किराया दरों को निर्धारित किया जाता है।–

BASIC AMBULANCE WITH OXYGEN CYLINDER (NON AC)	BASIC AMBULANCE WITH OXYGEN CYLINDER (AC)	ICU CARDIAC AMBULANCE
न्यूनतम किराया रु0 800. 15 किलोमीटर की परिधि का एक तरफा छोड़ने का (अवधि एक घंटा)	न्यूनतम किराया रु0 1200. 15 किलोमीटर की परिधि का एक तरफा छोड़ने का (अवधि एक घंटा)	न्यूनतम किराया– 15 किलोमीटर की परिधि तक रु0 3000 मात्र वाहन मय चालक रु0 4000 नर्सिंग स्टाफ के साथ रु0 6000 डॉक्टर के साथ
1 घंटे के पश्चात रु0 200 प्रति घंटा प्रतीक्षा भाड़ा।	1 घंटे के पश्चात रु0 250 प्रति घंटा प्रतीक्षा भाड़ा।	
15 किलोमीटर से अधिक दूरी हेतु रु0 18 प्रति किमी0 या उसके भाग के लिए	15 किलोमीटर से अधिक दूरी हेतु रु0 20 प्रति किमी0 या उसके भाग के लिए	15 किलोमीटर से अधिक दूरी हेतु प्रत्येक अतिरिक्त किमी0 या उसके भाग के लिए– रु0 45 प्रति किमी0 (नर्सिंग स्टाफ के साथ) रु0 50 प्रति किमी0 (डॉक्टर के साथ)
1. कोविड–19 पेशेंट के परिवहन हेतु चालक को पीपीई किट, मास्क व सैनिटाइजर पेशेंट/अटेंडेट द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। 2. पेशेंट/अटेंडेंट के अनुरोध एवं खर्चे पर अतिरिक्त संसाधन/जनशक्ति की उपलब्धता एंबुलेंस सेवा प्रदाता द्वारा की जाएगी।		

अतः निर्देशित किया जाता है कि जनपद उधमसिंह नगर अन्तर्गत समस्त एम्बुलेंस चालक उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा निर्धारित दरों के अनुसार ही मरीज/उपभोक्ता को रसीद भी अनिवार्य रुप उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित के विरुद्व आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005, **UTTARAKHAND EPIDEMIC DISEASES, COVID-19 REGULATIONS, 2020, EPIDEMIC DISEASES ACT 1897** एवं भारतीय दण्ड संहिता व अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

ह0/–

(रंजना राजगुरु)
जिला मजिस्ट्रेट
उधमसिंह नगर

कार्यालय जिलाधिकारी उधमसिंह नगर

पत्रांक 9437/20 J.A. – फ़िदहन – दिनांक 13-5-2021

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. सचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, आपदा प्रबन्धन उत्तराखण्उ शासन देहरादून।
4. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उधमसिंह नगर।
6. मुख्य विकास अधिकारी, उधमसिंह नगर।
7. नगर आयुक्त/नगर मजिस्ट्रेट, उधमसिंह नगर/काशीपुर।
8. अपर जिलाधिकारी (प्र0), उधमसिंह नगर।
9. मुख्य चिकित्साधिकारी, उधमसिंह नगर।
10. समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद उधमसिंह नगर।
11. सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उधमसिंह नगर/काशीपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निर्धारित किराया दरें प्रत्येक एम्बुलेंस में चस्पा/प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
12. जिला सूचना अधिकारी, उधमसिह नगर को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित।

अपर जिला मजिस्ट्रेट
उधमसिंह नगर